



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में 23 विभागों (स्पेशलिटी) के अधीन सहायक प्राध्यापक के कुल 1339 (तेरह सौ उनतालीस) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों का विभागवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत है:-

क्र. सं.	विज्ञापन सं.	विभाग का नाम	बैकलॉग / चालू रिक्ति से	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		कुल रिक्त पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नातीनी को 2%	दिव्यांग को 4%				
				कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या			VI	DD	OH	MD	
1.	34/2024	एनाटॉमी	बैकलॉग से	03	01	06		00		06		05		03	01	49	01	00	00	01	00	
			चालू			08	03	01	00	10	04	07	02									
2.	35/2024	निश्चेतना	बैकलॉग से	10	04	07		01		09		05		08	03	99	02	01	01	00	01	
			चालू			17	06	02	00	23	08	17	06									
3.	36/2024	बायोकेमिस्ट्री	बैकलॉग से	05	02	04		00		05		03		04	01	48	01	00	01	01	01	00
			चालू			08	03	01	00	10	04	08	03									
4.	37/2024	दंत रोग	बैकलॉग से	06	02	00		00		00		00		02	00	23	01	01	00	00	00	00
			चालू			04	01	01	00	05	02	05	02									
5.	38/2024	नेत्र रोग	बैकलॉग से	07	02	02		00		01		02		04	01	47	01	00	00	01	00	01
			चालू			09	03	01	00	12	04	09	03									
6.	39/2024	नाक, कान एवं गला	बैकलॉग से	04	01	05		00		05		04		04	01	50	01	00	00	01	00	
			चालू			08	03	01	00	11	04	08	03									
7.	40/2024	एफ.एम.टी.	बैकलॉग से	11	04	01		00		01		01		05	02	55	01	00	01	01	01	00
			चालू			11	04	01	00	14	05	10	04									
8.	41/2024	माइक्रोबायोलॉजी	बैकलॉग से	03	01	05		00		05		03		03	01	45	01	00	00	01	00	
			चालू			08	03	01	00	10	04	07	02									
9.	42/2024	औषधि	बैकलॉग से	17	06	07		00		06		06		10	04	119	02	01	01	01	01	01
			चालू			22	08	03	01	28	10	20	07									

[Handwritten Signature]

क्र. सं.	विज्ञापन सं.	विभाग का नाम	बैकलॉग / चालू रिक्ति से	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		कुल रिक्ति पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नातीनी को 2%	दिव्यांग को 4%			
				(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	VI	DD	OH	MD								
				कोटिवार रिक्ति की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या						
10.	43/2024	हड्डी रोग	बैकलॉग से	08	03	00		00		02		02		06	02	59	01	00	00	01	01
चालू						12	04	02	00	16	06	11	04								
11.	44/2024	स्त्री रोग एवं प्रसव	बैकलॉग से	09	03	05		01		08		05		07	02	88	01	01	01	00	01
चालू						15	05	01	00	21	07	16	06								
12.	45/2024	मनोरोग	बैकलॉग से	09	03	03		00		03		02		05	02	56	01	00	01	01	00
चालू						10	04	01	00	13	05	10	04								
13.	46/2024	फिजियोलॉजी	बैकलॉग से	01	00	06		00		06		04		03	01	46	01	00	00	01	00
चालू						07	02	01	00	10	04	08	03								
14.	47/2024	फार्माकोलॉजी	बैकलॉग से	00	00	06		00		06		05		02	00	39	01	00	00	01	00
चालू						06	02	01	00	08	03	05	02								
15.	48/2024	पी.एस.एम.	बैकलॉग से	04	01	04		00		05		03		03	01	45	00	00	01	01	00
चालू						08	03	01	00	10	04	07	02								
16.	49/2024	पैथोलॉजी	बैकलॉग से	06	02	05		00		05		00		05	02	57	01	01	00	00	01
चालू						11	04	02	00	15	05	08	03								
17.	50/2024	शिशु रोग	बैकलॉग से	09	03	03		00		07		00		06	02	74	02	01	01	00	01
चालू						15	05	01	00	19	07	14	05								
18.	51/2024	पी.एम.आर.	बैकलॉग से	08	03	01		00		01		00		04	01	41	01	01	01	00	00
चालू						08	03	01	00	10	04	08	03								
19.	52/2024	रेडियोलॉजी	बैकलॉग से	10	04	03		00		04		02		06	02	64	01	00	01	01	00
चालू						12	04	01	00	15	05	11	04								
20.	53/2024	चर्म एवं रक्ति रोग	बैकलॉग से	08	03	04		00		04		03		05	02	56	01	00	01	01	00
चालू						09	03	01	00	13	05	09	03								
21.	54/2024	टी.बी. एण्ड चेस्ट	बैकलॉग से	16	06	00		00		00		00		07	02	67	01	01	01	01	00
चालू						14	05	01	00	17	06	12	04								
22.	55/2024	जेरियाट्रिक्स	बैकलॉग से	10	03	00		00		00		00		03	01	36	01	01	00	00	00
चालू						07	02	01	00	08	03	07	02								
23.	56/2024	रेडियोथेरापी	बैकलॉग से	19	07	00		00		00		00		08	03	76	02	01	01	01	00
चालू						15	05	01	00	19	07	14	05								
कुल													1339	26	10	13	16	06			

2

2. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
1.	एनाटॉमी	एमडी/एमएस/डीएनबी (एनाटॉमी)	<p>एमडी/एमएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के ऐसे पदाधिकारी जिन्हें विषय विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि एवं इसके उपरान्त भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में न्यूनतम तीन वर्षों का रेजिडेंट/सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है, वे भी सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।</p> <p>नोट:-विज्ञापन संख्या-37/2024, सहायक प्राध्यापक, दंत रोग के लिए एमडीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमत चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।</p>
2.	निश्चेतना	एमडी/एमएस/डीएनबी (एनेस्थीसिया)	
3.	बायोकेमिस्ट्री	एमडी/डीएनबी (बायोकेमिस्ट्री)	
4.	दंत रोग	एमडीएस	
5.	नेत्र रोग	एमडी/एमएस/डीएनबी (नेत्र विज्ञान)	
6.	नाक, कान एवं गला	एमएस/डीएनबी (ओटो-रिनो-लैरिंगोलॉजी)	
7.	एफ.एम.टी.	एमडी/डीएनबी (फोरेसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	
8.	माइक्रोबायोलॉजी	एमडी/डीएनबी (माइक्रोबायोलॉजी)	
9.	औषधि	एमडी/डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)	
10.	हड्डी रोग	एमएस/डीएनबी (हड्डी रोग)	
11.	स्त्री एवं प्रसव रोग	एमडी/एमएस/डीएनबी (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)	
12.	मनोरोग	एमडी/डीएनबी (मनोरोग)	
13.	फिजियोलॉजी	एमडी/डीएनबी (फिजियोलॉजी)	
14.	फार्माकॉलॉजी	एमडी/डीएनबी (फार्माकॉलॉजी)	
15.	पी.एस.एम.	एमडी/डीएनबी (सामुदायिक चिकित्सा)/एमडी (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)	
16.	पैथोलॉजी	एमडी/डीएनबी (विकृति विज्ञान)	
17.	शिश्न रोग	एमडी/डीएनबी (बाल रोग)	
18.	पी.एम.आर.	एमडी/डीएनबी (शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास)	
19.	रेडियोलॉजी	एमडी/डीएनबी (विकिरण निदान)	
20.	चर्म एवं रति रोग	एमडी/डीएनबी (डीवीएल)	
21.	टी.बी. एण्ड चेस्ट	एमडी/डीएनबी (श्वसन चिकित्सा/पलमोनरी मेडिसिन)	
22.	जेरियाट्रिक्स	एमडी/डीएनबी (जरा चिकित्सा)	
23.	रेडियोथेरेपी	एमडी/डीएनबी (विकिरण कैंसर विज्ञान)	

3. वेतनमान - अपुनरीक्षित वेतनमान 15,600-39,100/- रु. ग्रेड पे. - 6600/- रु. एवं सातवें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर-11

4. उम्र सीमा -दिनांक 01.08.2023 को अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) के लिए 48 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 48 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) के लिए 50 वर्ष तथा बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सक के लिए उम्र सीमा 50 वर्ष। वार्षिक्य सेवानिवृत्ति की आयु 67 वर्ष है।

(i) वि.सं.-34/2024 से वि.सं.-36/2024 एवं वि.सं.-38/2024 से वि.सं.-54/2024 तक के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक- 01.08.2017 से 01.08.2023 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) वि.सं.-37/2024 एवं वि.सं.-56/2024 के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक-31.05.2012 से 01.08.2023 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट:-जेरियाट्रिक्स विभाग (वि.सं.-55/2024) में नियुक्ति प्रथम संव्यवहार है। अतएव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 का छूट लागू नहीं होगा।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक), जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो।

8

बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।
- (v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।
भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

5. चयन का आधार-

शैक्षणिक योग्यता के लिए मूल्यांकन:-

अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मूल्यांकन आवंटित किए जाएंगे -

(क)	एम.बी.बी.एस. विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग	70% से	65% से	60% से	55% से	50% से
		उपर	उपर	उपर	उपर	उपर
		5	4	3	2	1

- नोट:- (a) एक या अधिक एम.बी.बी.एस. परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामलों में, खास एम.बी.बी.एस. परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना, संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।
- (b) विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रिनिंग टेस्ट (एफ0एम0जी0ई0) के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा।

(ख)	भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशांसा के अनुसार, आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय समूह में प्राप्तांक	70% से	65% से	60% से	55% से	50% से
		उपर	उपर	उपर	उपर	उपर
		5	4	3	2	1


नोट:- आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामलों में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जाएगा।

- (ग) एम.डी./एम.एस. अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशियलिटी में समकक्ष मानी गयी अर्हता - 10 अंक
- (घ) उसी स्पेशियलिटी में पीएच.डी., डी.एम., एम.सी.एच. एवं डी.एन.बी. (सुपरस्पेशियलिटी) - 10 अंक
- (ङ.) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रति पूर्ण वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) - 10 अंक
- (च) साक्षात्कार - 06 अंक

नोट:- (i) बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान, जो एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त हो) क्षेत्र के चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव को अधिमानता दी जायेगी। सक्षम प्राधिकार (प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक) द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव हेतु संस्थानों की सूची आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ii) ऐसे एम.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस. आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जाएगा।

!



(iii) एम.बी.बी.एस. परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए एक अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।

(iv) मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नानुसार अतिरिक्त अंक आवंटित किए जायेंगे। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जाएगा, जब वह उस विषय के प्रभारी प्राध्यापक अथवा विभागाध्यक्ष जिसके, अधीन उसने अपना लेख (पेपर) तैयार किया हो, से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

अधिकतम 10 अंकों के अधीन रहते हुए किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसाइटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल आर्गन हो अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल आर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2(दो) अंक।

शोध प्रकाशन केवल ऐसे मूल पेपर, मेटाविश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जायेगा, जो मेडलाईन पबमेड सेन्ट्रल, साईंस साइटेशन इंडेक्स, साईंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैंडिड एम्बेस, स्कोपस, डायरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं।

Co-Author को अंक देय होगा एवं Accepted for Publication के लिए भी अंक देय होगा।

(v) सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति का पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 18 (अठारह) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(vi) प्रतिवर्ष का तात्पर्य प्रत्येक पूर्ण वर्ष अर्थात् लीप वर्ष (366 दिन) को 365 दिन के समान मानी जायेगी

(vii) एम.बी.बी.एस., एम.डी., एम.एस., पीएच.डी., डी.एम., डीएन.बी., एम.डी.एस., एम.सी.एच. (Speciality) की डिग्री एन.एम.सी. से मान्यता प्राप्त कॉलेजों/संस्थानों से होनी चाहिए।

(viii) अभ्यर्थी अपने एन.एम.सी. अथवा राज्य चिकित्सा रजिस्टर या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर से प्राप्त निबंधन प्रमाण-पत्र में सभी प्राप्त डिग्रियों की अद्यतन प्रविष्टि करा लेंगे।

6. आरक्षण :-

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा के किसी भी स्तर/चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 एवं पत्रांक-12123, दिनांक- 23.07.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरुष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित शिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के

02

लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

- (v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनारक्षित (Unreserved)	UR	01
2.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC	02
3.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST	03
4.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
5.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-962, दिनांक- 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो (Persons with Benchmark Disability) को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil Surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबन्धिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-26.07.2024 तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।



- नोट:-(a) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।
- (b) आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
- (i) मैट्रिक का प्रमाण पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए)।
 - (ii) एन.एम.सी. अथवा राज्य चिकित्सा रजिस्टर या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में निबंधन से संबंधित प्रमाण-पत्र।
 - (iii) एम.बी.बी.एस. की सभी परीक्षाओं/सत्र का उत्तीर्ण अंक पत्र।
 - (iv) एम.बी.बी.एस. की सभी परीक्षाओं/सत्र का अनुत्तीर्ण अंक पत्र (अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में)।
 - (v) एम.बी.बी.एस. के सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने संबंधी अवसर प्रमाण पत्र (Attempt Certificate)।
 - (vi) एम.बी.बी.एस. प्रमाण पत्र।
 - (vii) विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना हेतु विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ.एम.जी.ई.) से संबंधित प्रमाण-पत्र।
 - (viii) एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.डी.एस. अंक पत्र। (अंक पत्र निर्गत होने की स्थिति में) (विज्ञापन की कंडिका-2 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
 - (ix) एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.डी.एस. प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कंडिका-2 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
 - (x) डी.एम./एम.सी.एच./पीएच.डी./डी.एन.बी. (सुपरस्पेशियलिटी) प्रमाण-पत्र।
 - (xi) एमडी/एमएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। (दावा किये गये कार्यानुभव से सम्बन्धित Appointment/Invitation letter की भी आवश्यकतानुसार माँग की जा सकती है)।
 - (xii) बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पदाधिकारी के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में न्यूनतम तीन वर्षों का रेजिडेंट/सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र। (विज्ञापन की कंडिका-2 शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अनुरूप) (दावा किये गये कार्यानुभव से सम्बन्धित Appointment/Invitation letter की भी आवश्यकतानुसार माँग की जा सकती है)।
 - (xiii) विज्ञापन संख्या-37/2024 के लिए एमडीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमत चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। (दावा किये गये कार्यानुभव से सम्बन्धित Appointment/Invitation letter की भी आवश्यकतानुसार माँग की जा सकती है)।
 - (xiv) चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव हेतु सक्षम प्राधिकार (प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक) द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जिसमें कार्य करने की अवधि तथा उक्त संस्थान के एन.एम.सी. से मान्यता प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख हो। (चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव से सम्बन्धित Appointment/Invitation letter की भी आवश्यकतानुसार माँग की जा सकती है)।
 - (xv) सभी प्रकाशित जर्नल्स की प्रति (विज्ञापन की कंडिका-5 के नोट-(iv) के अनुरूप)।
 - (xvi) जर्नल्स के Accepted for publication होने की स्थिति में Journals Acceptance Letter की प्रति।
 - (xvii) विज्ञापन की कंडिका 5(iv) के आलोक में जर्नल्स के मुख्य लेखक के प्रमाण के लिए उस विषय के प्रभारी प्राध्यापक अथवा विभागाध्यक्ष जिसके अधीन वह अपना लेख (पेपर) तैयार किया है, से इस आशय का प्रमाण पत्र की प्रति।
 - (xviii) एम.बी.बी.एस., एम.डी., एम.एस., पीएच.डी., डी.एम., डीएन.बी., एम.डी.एस., एम.सी.एच. (Super Speciality) की डिग्री एन.एम.सी. से मान्यता प्राप्त है, इस आशय का संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान से निर्गत प्रमाण पत्र।
 - (xix) बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सक के लिए उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
 - (xx) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)।

१५

- (xxi) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।
- (xxii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)।
- (xxiii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)।
- (xxiv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। (आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए)।
- (xxv) दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र।
- (xxvi) बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।
- (xxvii) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- (xxviii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/ नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र।
- (xxix) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
- (xxx) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xxxii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

(xxxiii) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

(xxxiv) परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये ऑनलाइन आवेदन की Hard Copy की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा।

7. शुल्क:-

अभ्यर्थियों को Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये तथा अलग-अलग विज्ञापनवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है:-

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 100/- (एक सौ) रुपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 25/- (पचीस) रुपये

(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 25/- (पचीस) रुपये

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 25/- (पचीस) रुपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 100/- (एक सौ) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:- (i) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा।

(ii) वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/अनारक्षित महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा

शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।


8. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	25.06.2024
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	26.07.2024

- (ii) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (iii) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण एवं अनुसंधान अनुभव, अन्य योग्यता तथा आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए साक्षात्कार आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण-पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।
- (iv) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।
- (A) Registration के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि Registration में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएँ सही है। यदि Registration में की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगत होती है तो Cancel करते हुए नये सिरे से Registration कर सकते हैं।
- (B) Application Form Submit करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर Dashboard पर उपलब्ध Download filled Application Section से भरा हुआ आवेदन Download कर लेंगे।
- नोट:- (i) वेसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों, वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपने Application को Cancel करते हुए उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर Edit करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- (v) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
- (vi) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित नहीं करेंगे।
- (vii) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (viii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ix) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।



- (x) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की पाँच प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (xi) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (xii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xiii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
9. महत्वपूर्ण निर्देश :-
- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Download Filled Application Section” से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
10. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
11. शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
13. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
14. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।


 20.6.2024
 अपर सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
 बिहार लोक सेवा आयोग, पटना